न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 121/23 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (RCMS No.2023/140)

1. कन्हैयालाल पुत्र गिर्राज
2. गंगासहाय पुत्र गिर्राज
3. महेन्द्र पुत्र गिर्राज
4. मुकेश पुत्र गिर्राज
5. अनीता पुत्री गिर्राज
6. बदाम पत्नीगिर्राज

समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर दिनांक 2.11.2022

उपस्थितिः–

श्री सी0एस0 गुर्जर वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 02.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहत अदलात के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा किस्म वारानी 3 वाकै ग्राम कुतलपुरा जाटान में स्थित थी जो पूर्व में गुलाब पुत्री हरफूल एवं मु0 मंगली वेवा हरफूल जाति माली साकिन देह हिस्सा बरावर थी। यह कि ग्राम कुतलपुरा जाटान में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटेलमेन्ट कर दिया गया है जिसमें ख0नं0 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा किस्म वारानी 3 के नवीन खसरा नम्बर बना दिये जिसमें नवीन ख0नं0 202 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, ख0नं0 203 रकबा 1.4000 है0 चाही 3, ख0नं0 203/309 रकबा 0.0800 है0 गै0मु0 रास्ता कुल किता–3 कुल रकबा 1.4900 हैक्टे0 बना दिये। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साविक ख0नं0 92 रकबा 5 बीघा18 विस्वा किस्म बारानी 3 का नवीन नक्शा ट्रेस बनाते समय नक्शे में अशुद्धि कर दी एवं मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस कायम न कर नवीन खसरा नम्बर 203/309 रकबा 0.08 है0 का अलग से नक्शा ट्रेस बनाकर उसकी किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया । जबकि खसरा नम्बंर 203/309 रकबा 0.08 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ते के बजाये चाही दर्ज किया जाना चाहिऐ था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2022 पारित करते हुये यह विवेचना की गई कि अपीलान्टस के द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत पेश किया गया है और अपीलान्ट भूमि की किस्म परिवर्तित कराना चाहता है। यह प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट में नहीं होने तथा प्रकरण किस्म परिवर्तन का होने के कारण प्रकरण को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है और अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2022 से खारिज कर दिया। उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 02.11.2022 क खिलाफ अपीलान्टस द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा अधिकार अभिलेख ज़माबन्दी तथा नक्शा ट्रेस का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की जांच किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त होने व खातेदारी की भूमि होने के संबंध में रिकार्ड व दस्तावेजात पेश किये गये थे। जिसके अनुसार अपीलान्ट की खातेदारी में साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा किस्म वारानी 3 वाकै ग्राम कुतलपुरा जाटान में स्थित थी, जिसकी गुलाब पुत्री हरफूल एवं मु0 मंगली वेवा हरफूल जाति माली साकिन देह हिस्सा बरावर थी। सैटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज भूमि को गलत रूप से रास्ते में दर्ज किया था। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में साविक व हाल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस आदि पेश किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2038–41 ग्राम कुतलपुरा जाटान की प्रति भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजात पर गौर नहीं कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा में किस्म वारानी 3 में चाह बना हुआ था। सम्पूर्ण रकबा पर तत्कालीन खातेदारों द्वारा काश्त की जाती थी जिसका अंकन गिरदावरी चौसाला ग्राम कुतलपुरा जाटान सम्वत 2043, 2044, 2045 में दर्ज खसरा गिरदावरी, पुराना नक्शा ट्रेस की प्रति अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ प्रतुत किया था, परन्तु इन दस्तावेजों का परीक्षण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा किस्म वारानी 3 के नवीन खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0 चाह, ख0नं0 203 रकबा 1.4000 है0 चाही 3, ख0नं0 203/309 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 रास्ता कुल किता–3 कुल रकबा 1.4900 हैक्टे0 बनाए थे। अपीलान्ट द्वारा मिलान क्षेत्रफल, नवीन नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान जमाबन्दी ग्राम कुतलपुरा जाटान सम्वत 2069 से 2072 तक की अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये थे, परन्तु इनको भी अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय ने नहीं देखा। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साविक ख0नं0 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी 3 का नवीन नक्शा ट्रेस बनाते समय मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस कायम न कर नवीन खसरा नम्बर 203/309 रकबा 0.08 है0 का अलग से नक्शा ट्रेस बनाकर उसकी किस्म गलत रूप गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई। जबकि साबिक खसरा नम्बर व पुराने नक्शे में कोई रास्ता नहीं था। सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में दर्ज है। खसरा नम्बर 203/309 रकबा 0.08 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ते के बजाये अपीलान्ट की खातेदारी चाही दर्ज किया जाना चाहिऐ था, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया। जिसे एल.आर.एक्ट. की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तहत अपीलान्ट दुरूस्त कराने का पूर्ण अधिकारी था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि भूप्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के न तो रकबा घटाने व बढाने का अधिकार है और नही किस्म परिवर्तन करने का अधिकार है। इसके बाबजूद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आराजी खसरा नमबर 203/309 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज किया है, जो विधि विरूद्ध है। इसे शुद्ध कर अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश अदालत मातहत द्वारा दिया जाना था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत रूप से खारिज किया है। अपीलान्टस के खेतों में न तो साबिक खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा वारानी – 3 में और न ही वर्तमान खसरा नम्बर 202 रकबा 0.08 हैक्टे0 गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 203 रकबा 1.4000 है0 चाही 3, खसरा नम्बर 203/309 रकबा 0.08 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 1.4900 है0 पूर्व में कोई रास्ता था और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है। अपीलान्ट ने अपने निजी आवागमन के लिये कूऐ व अन्य खेतों पर जाने हेतु स्वयं की पगडण्डी छोडी हुई है, जो अपीलान्ट के कब्जेकाश्त की है। उक्त रास्ता कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर से रास्ते बाबत रिपोर्ट मांगी थी, जो कि दिनांक 26.03.2019 को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में भी तहसीलदार स0मा0 द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी को अपीलान्ट की होना बताया है तथा उक्त आराजीयात को अपीलान्ट की खातेदारी बताया है इन सभी तथ्यों पर तथा मौका रिपोर्ट को अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2022 को पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2022 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 136 के प्रार्थना पत्र के अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत एल.आर.एक्ट. की धारा 136 के प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 03.07.2019 में यह उल्लेख किया गया कि खसरा गिरदावरी 2043–2046 के अनुसार साविक खसरा नंबर 92 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा के सम्पूर्ण रकबे में काश्त दर्ज है। अपीलान्ट खसरा नंबर 92 से बने हाल खसरा नंबर 203/309 रकबा

0.8 है0 की किस्म दुरूस्त करवाना चाहते हैं। अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश करने के बाद उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजात व तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत की गई रिंपोर्ट दिनांक 03.07.2019 का उल्लेख करते हुए यह माना है कि साविक खसरा नंबर 92 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी 3 जो पूर्व में गुलाब पुत्री हरफूल व मंगली बेवा हरफूल जाति माली साकिन्दे हिस्सा बराबर थी, के नवीन खसरा नंबर 202 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 203 रकबा 1.40है0 चाहे 3, खसरा नंबर 203/309 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 1.49 है0 बनाए हैं। इसमें से खसरा नंबर 203/309 जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित कर दी गई। उसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान उप जिला कलक्टर ने यह माना है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपनी भूमि की किस्म बदलवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। किस्म परिवर्तन का मामला 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत नहीं होना मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत गलतियों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। जिसके अनुसार भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय किसी लिपकीय और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा। जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख ले। उक्त प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि की किस्म भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान परिवर्तित की गई है। वरन् यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रार्थीगण साविक खसरा नंबर 92 से बने हाल खसरा नंबर 203/309 की किस्म दुरूस्त कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से एल. आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किस्म परिवर्तन किये जाने का आदेश नहीं दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट इसके संबंध में सक्षम न्यायालय में पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर